

85  
23

पत्रावली मंहगारि राहत कैम्प हेव प्रशासन गाँवो के संग  
अभियान 2023 कैम्प गाँव पचायत माडू मे पेश हुई।  
विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिके  
झाठ पठ किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, प्राथी छ  
आर्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्क से  
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी- हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 57/23 प्रा०पत्र

1- श्री सत्यनारायण शं० रामा लालाई गिवासी-धुवाला तहसील-माण्डल

-प्रार्थी.

यनाम

1- श्री गान्धु शं० काना लालाई गिवासी-धुवाला तहसील-माण्डल [वर्गों]  
[पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न]

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लांगरोकर रोड पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1842, 1843, 1846, 1847 कुल किता 0.5 रकबा 0.9610 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-03-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लांगरोकर रोड पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1842, 1843, 1845, 1846, 1847 कुल किता 0.5 रकबा 0.9610 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

**हुकमीचन्द रोहलानिया**  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
**हुकमीचन्द रोहलानिया**  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023